निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 634) पटना, सोमवार, 29 अगस्त 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 अगस्त 2022

एस० ओ० 174 दिनांक 29 अगस्त 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 129, दिनांक 9 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348, दिनांक 9 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 115, दिनांक 1 जुलाई, 2021, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 564, दिनांक 1 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का आंशिक उपांतरण करते हुए,-

(i) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कर की अवधि के संबध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करते हैं;

(ii) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करते हैं ।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च 2020 से प्रवृत समझी जाएगी ।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–15)2343)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

29 अगस्त 2022

एस० ओ० 174. दिनांक 29 अगस्त 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–15) 2343)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 29th August 2022

S.O. 174, Dated 29th August 2022— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in partial modification of the notifications of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 129, dated the 9th June, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 348, dated the 9th June, 2020 and S.O. 115, dated the 1st July, 2021, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 564, dated the 1st July, 2021, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby,-

(i) extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-18, up to the 30th day of September, 2023;

(ii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of section 73 of the said Act for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;

(iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 or section 55 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-15) 2343)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 634-571+10-डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in